भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3402
दिनांक 07 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

औषधि क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना

3402. डॉ. शर्मिला सरकारः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि औषधि क्षेत्र के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं प्रारंभ किए जाने के बावजूद इनके अंतर्गत निधियों का वितरण सीमित रहा है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत पाँच वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत औषधि क्षेत्र, बल्क ड्रग्स तथा चिकित्सा उपकरणों के लिए कितनी राशि वितरित की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई योजना में सुधार करने का है, जिसमें अधिक उत्सुक विनिर्माण कंपनियों को प्रोत्साहित एवं आकर्षित करने के उद्देश्य से केवल पीएलआई आधारित व्यवस्था के स्थान पर घटक संबद्ध प्रोत्साहन (कम्पोनेंट-लिंक्ड इंसेंटिव-सीएलआई) तथा पीएलआई को सम्मिलित करने वाले एक मिश्रित मॉडल को अपनाना शामिल है; और

(घ) यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): औषध के लिए पीएलआई योजना के अन्तर्गत, कार्यनिष्पादन अवधि की शुरूआत वित्त वर्ष 2022-23 से हुई। इस योजना के लिए कुल 15,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय में से, मार्च 2026 तक 6,659 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की जा चुकी है।

बल्क औषधियों के लिए पीएलआई योजना के अन्तर्गत, 6,940 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से, मार्च 2026 तक 87.70 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की जा चुकी है। बल्क औषधियों के लिए पीएलआई योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वियन में कई बाधाएं आईं, जैसे भूमि अधिग्रहण में लगने वाला समय, पर्यावरण मंजूरी, उच्च उपयोगिता लागत, किण्वन आधारित बल्क औषधियों की लंबी उत्पादन पूर्व अवधि आदि। इन सभी कारकों के कारण परियोजनाओं के शुरू होने में देरी हुई। इसके परिणामस्वरूप, निधियों के वितरण पर भी असर पड़ा क्योंकि प्रोत्साहन राशि इन परियोजनाओं से विनिर्मित पात्र उत्पादों की बिक्री के आधार पर जारी की जाती है।

(ख): योजनाओं की शुरुआत से अब तक वितरित की गई राशि का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	योजना का नाम	वितरित की गई धनराशि (₹ करोड़ में) मार्च, 2026 तक
1	औषध के लिए पीएलआई योजना	6,659
2	बल्क औषधियों के लिए पीएलआई योजना	87.70
3	चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई योजना	266.64

(ग) और (घ): जी, नहीं।
